15

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
पत्रांक–3 / आ0वि0(विविध)02–27 / 2011–06

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–21/1/12

विषयः– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में नामांकन नहीं होने/छिजन के चलते हुई रिक्तियों के विरूद्ध छात्र/छात्राओं का नामांकन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में वर्ग–I में "पहले आओ पहले पाओ" तथा वर्ग–VI में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामांकन किया जाता है।

प्रायः यह पाया जाता है कि इन आवासीय विद्यालयों में विभिन्न वर्गों में कई कारणों से समय–समय पर छात्र/छात्राओं का छिजन होता है जिसके चलते वर्ग–I से X में निर्धारित छात्र क्षमता के अनुरूप छात्र/छात्राओं की संख्या नहीं रह पाती है । इस कारण एक ओर क्षमता से कम छात्र/छात्राओं को शिक्षा का लाभ मिलता है तो दूसरी ओर उपलब्ध संसाधन एवं शिक्षकों का महत्तम (Optimum) उपयोग नहीं हो पाता है। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि वर्ग–I एवं VI में पर्याप्त संख्या में बच्चों का नामांकन हो साथ ही प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाय। इसके साथ–साथ वर्ग–II से V एवं VII से X के लिए भी नामांकन हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार रखी जाय ताकि छात्र/छात्राएं का छिजन होने पर प्रतीक्षा सूची से छात्रों का नामांकन कर क्षमतानुसार छात्रों की संख्या सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

1– प्रायः पाया जाता है कि वर्ग–I एवं VI में नामांकन के समय आवासीय विद्यालयों में खास तौर से अस्वच्छ कार्य में लगे बच्चों के स्थान रिक्त रह जाता है। ऐसे स्थान पर अर्हता प्राप्त प्रतीक्षा सूची से प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जाय। साथ ही समय–समय पर अन्य वर्गो में भी छिजन दृष्टिगोचर होता है । वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार अनु0 जाति में साक्षरता दर के आधार पर सबसे कम साक्षरता दर के जाति की पहले एवं उसी क्रम में उसके बाद के जाति को प्राथमिकता दिया जाय । जातिवार साक्षरता दर की सूची संलग्न है ।

2– अध्ययनरत छात्र/छात्रा 30 दिनों तक लगातार अनाधिकृत रूप से बिना सूचना के अनुपस्थित रहते है तो वैसे छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को 15 दिनों में सूचना भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया जाय। बगैर बैध कारण के 30 दिनों तक कोई छात्र/छात्रा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाते है, तो उसे रिक्ति मानते हुए प्रतीक्षा सूची से छात्र/छात्रा का नामांकन किया जाय।

3– वर्ग–II से V एवं वर्ग–VII से X के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पूर्व ही आवश्यक सूचना समाचार पत्रों में दी जाय तथा जिला स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों में पिछले वर्ग के प्राप्तांक के आधार पर तीन सदस्यीय समिति के निर्णय एवं अनुशंसा के पश्चात् नामांकन किया जाय।

4– जिलास्तरीय चयन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जबकि संबंधित प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी एवं विद्यालय के वरीयतम शिक्षक सदस्य होगें । संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की अनुशंसा के आलोक में नामांकन संबंधित दावों का निराकरण, प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण द्वारा किया जायेगा।

5– नक्सली हिंसा में मारे गये व्यक्ति के पुत्र–पुत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत् दर्ज हत्या/बलात्कार के मामलों में पीड़ित व्यक्तियों के पुत्र–पुत्री, विधवा महिला के पुत्र–पुत्री इत्यादि के मामलों में नामांकन में प्राथमिकता दी जाय।

निष्कर्षतः यह सुनिश्चित किया जाय कि वर्ग–I से X तक सभी कक्षा में हर समय कम–से–कम 40 छात्र अध्ययनरत रहें। प्रत्येक तीन माह पर विद्यालयवार नामांकन की स्थिति से विभाग को अवगत कराया जाय ।

विश्वासभाजन

निदेशक। 29.12.11

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)02–27/2011– 06 पटना, दिनांक–2/1/12

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रधानाध्यपक एवं प्रधनाध्यापिका, आवासीय विद्यालय/सभी संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 29.12.11

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)02–27/2011– 06 पटना, दिनांक–2/1/12

प्रतिलिपि– सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/आप्त सचिव, मंत्री; अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक। 29.12.11

Drop out letter